न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 76/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 01.04.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/76

प्रभुलाल पिता हजारी जाट, उम्र वयस्क, निवासी पिपलवास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–सरकार जरिये उप तहसीलदार भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पटवारी पटवार हल्का पिपलवास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.08.2021 न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा, प्रकरण संख्या 2/2021

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 08.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का पिपलवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पिपलवास, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म गे. मु. रास्ता में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से 0.10 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं पेनाल्टी आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का पिपलवास, तहसील भदेसर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पिपलवास की आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.26 में से 0.10 हैक्टेयर किस्म गे. मु. रास्ता पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने विवादित आराजीयात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होकर उसमें स्थगन प्रभावी होने से स्थगन की पालना कराने एवं जवाब हेतु अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को स्थगन आदेश निरस्त हो जाने का अंकन करते हुए अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर दिए बगैर बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया यहां तक की आदेशिका दिनांक 10.07.2021, 03.08.2021 एवं 24.08.2021 को अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए अपने निर्णय में अपीलांट को उपस्थित होना दर्शा रखा है जो दोनो ही तथ्य एक-दूसरे के विरोधाभासी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2021 की जानकारी अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 15.03.2022 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पटवारी हल्का द्वारा बेदखली की कार्यवाही करने पर हुई जिस पर दिनांक 16.03.2022 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर नकल दिनांक 21.03.2022 को प्राप्त हुई उसके पश्चात् अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर यह अपील बिना किसी देरी के पेश है फिर भी अपील पेश करने में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2021 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2021 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय गे. मु. रास्ता की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 10.07.2021, 03.08.2021 एवं 24.08.2021 में अपीलांट की अनुपस्थिति दर्शा रखी है जबकि अपने निर्णय दिनांक 24.08.2021 के पैरा संख्या 2 की आखिरी लाईन में वर्णित किया है कि ''अतिक्रमी उपस्थित जिसने मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया।'' अतः अधीनस्थ न्यायालय का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 24.08.2021 एवं आदेशिकाऐं परस्पर एक-दूसरे के विरोधी स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर से स्थगन हटते ही दिनांक 24.08.2021 को निर्णय दिनांक 24.08.2021 पारित कर दिया गया है तथा उसे जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर नहीं देना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.08.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट जवाब एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official